RCMS/2017/00157

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमती घीसी अहीर बनाम **श्री उदयलाल अहीर**

किस्म मुकदमा अपील नं. **150 / 2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
24.06.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.06.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2019 के आलोक में वर्तमान अपील विड्रो करने के ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में दावा बाबत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित डिक्री अनुसार वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/2वां हिस्सा घोषित किया जा चुका है एवं रेस्पोडेंट को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जा चुका है। मूल वाद में वर्तमान अपील में विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय होने से वर्तमान अपील फलहीन (Infructuous) हो गई है, अतः वर्तमान अपील विड्रो किये जाने योग्य होने से अपील विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2019 की प्रमाणित प्रति का अध्ययन किया। नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है, दावा के निर्णय/डिक्री अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/2वां हिस्सा घोषित किया जा चुका है एवं रेस्पोडेंट को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में दावा डिक्री हो चुका है, जिससे अपील में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.01.2019 के आलोक में अपील विड्रो स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।		